न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(कल्पना अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 37 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 16.10.2025

1–कालू पुत्र श्योरामा जाति जाट निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
2–बद्री पुत्र श्योरामा जाति जाट निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
3–रामसहाय पुत्र श्योरामा जाति जाट निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
4–जगदीश पुत्र श्योरामा जाति जाट निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
5–केदार पुत्र काना जाति जाट निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
6–रामअवातर पुत्र काना जाति जाट निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–भूली पत्नी स्व.कन्हैयालाल जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक (**नाम डिलिट दिनांक 16.12.2025**)
2–प्रसन्न देवी पुत्री स्व.कन्हैयालाल जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
3–काली पत्नी सत्यनारायण जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
4–राहूल पुत्र सत्यनारायण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता काली पत्नी सत्यनारायण जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
5–पायल पुत्री सत्यनारायण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता काली पत्नी सत्यनारायण जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
6–टीना पुत्री सत्यनारायण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता काली पत्नी सत्यनारायण जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
7–आरती पुत्री सत्यनारायण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता काली पत्नी सत्यनारायण जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
8–लक्ष्मी पुत्री सत्यनारायण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता काली पत्नी सत्यनारायण जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
9–सेठ पुत्र औकार जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन खद्दो की झोपडिया सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
10–कान्हा पुत्र प्रभू जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन खद्दो की झोपडिया सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
11–किशन पुत्र जंसी जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन खद्दो की झोपडिया सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

12–प्रकाश पुत्र जंसी जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन खद्दो की झोपडिया सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
13–मोती पुत्र जंसी जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन खद्दो की झोपडिया सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
14–रमेश पुत्र जंसी जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन खद्दो की झोपडिया सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
15–हरिनारायण पुत्र जंसी जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन खद्दो की झोपडिया सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
16–पारा पुत्री जंसी जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन खद्दो की झोपडिया सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
17–मदनी पुत्री जंसी जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन खद्दो की झोपडिया सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
18–लाडा पुत्री जंसी जाति नायक निवासी ढाणी नायको की झोपडिया तन खद्दो की झोपडिया सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
19–तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज.

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार उनियारा दिनांक 18.09.2025 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी कन्हैयालाल आदि बनाम कालू आदि

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन व विक्रम जैन,अभिभाषक अपीलांट्स
(2) श्री अनिल मिश्रा,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 08.01.2026

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 18.09.2025 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर2679,2690, 2691,2692,2693,2694, 2695,2696,2697,2712,2713,2717 व 2718 कुल किता–13 कुल रकबा 2.7261 है. वाके ग्राम सुरेली पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 80.54 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता. 8 के पिता/पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता. 18 ने तहसीलदार उनियारा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 183 बी राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के ग्राम ढाणी

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

नायकों झोपडिया तन खद्दा की झोपडिया, पंचायत सुरेली, तहसील उनियारा जिला टोंक के निवासी है। प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2679 रकबा 0.0688 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2690 रकबा 0. 0419 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2691 रकबा 0.3641 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 2692 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2693 रकबा 0.01410 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2694 रकबा 0.1945 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2695 रकबा 0.3116 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2696 रकबा 0.3022 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2697 रकबा 0.3047 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2712 रकबा 0.3596 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2713 रकबा 0.1325 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2717 रकबा 0.2295 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2718 रकबा 0.1877 हैक्टेयर कुल किता–13 कुल रकबा 2.7261 हैक्टेयर वाके ग्राम सुरेली, तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स से सम्बन्धित कानून मे दिये गये उपबन्धों का सही तरह से विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सही तरह से अवलोकन नही किया है। रेस्पोडेन्ट के पिता ने उक्त भूमि विक्रय कर दी थी। अपीलांट्स का उक्त भूमि पर लगभगण 50–60 वर्षो से कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट्स का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है तथा बेदखली के माध्यम से कानूनी रूप से भूमि पर काबिज व्यक्ति को बेदखल नही किया जा सकता। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनवान ऊकार बनाम मूलचन्द वगै. मुकदमा संख्या 10/2001 निर्णय दिनांक 30.08.2001 की प्रति प्रस्तुत की थी व अपीलांट्स ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली (निर्णय दिनांक 30.08.2001)को तलब कराने का एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली को तलब किये बिना तथा अपीलांट्स को बिना सुने ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। पक्षकारों के मध्य उक्त भूमि बाबत पूर्व मे ही निर्णय हो चुका है। अपीलांट्स अतिक्रमी की श्रेणी मे नही आता है। धारा 183 बी मे अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही की जाती है। रेस्पोडेण्ट के पूर्वज औकार व जंसी से अपीलांट्स ने उक्त भूमि दिनांक 06.06.1991 को जरिये इकरारनामा बैचान के माध्यम से 1 लाख दस हजार रूपये मे कय कर कब्जा प्राप्त किया है। कय की गई भूमि पर धारा 183 बी लागू नही होती है। रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त भूमि की राशि प्राप्त करली है। भूमि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत सिवायचक होनी चाहिये। ग्राम पंचायत सुरेली द्वारा उक्त भूमि के रास्ते के प्रकरण मे हमारे पक्ष मे निर्णय पारित किया है। इकरारनामा बैचान कराने के बाद रेस्पोडेण्ट के पिता/पति औकार व जंसी ने अपने जीवनकाल मे कभी कोई उज्र या आपत्ति नही की और उसके मृत्यु के बाद उसके पुत्रों द्वारा मन मे बदनियती आ जाने के कारण पैतीस वर्ष बाद उक्त आवेदन तहसीलदार उनियारा के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो कि धारा 183 बी के तहत काननून चलने योग्य नही है। कृषि भूमि मे मात्र 12 वर्ष की अवधि में ही बेदखल करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। अपीलांट्स और उनके पूर्वजो का कब्जा 1991 से वर्तमान तक लगभग 35 वर्षो से अधिक समय से है। आवेदन कानून रूप से 12 वर्ष से अधिक अवधि के बाद चलने योग्य नही है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त 2012 आर.बी.जे पेज नं.438,2014 आर.आर.डी पेज नं.404 व आर.बी.जे (27) 2020 पेज नं. 240 उद्वरित किये है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने जवाबी बहस मे कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा होने

न्यायालय जिला कलक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलक्टर
टोंक

के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। धारा 183 बी के प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लोगो के हित मे सरसरी जांच करके तुरन्त सहायता दिलाने के उदेश्य से बनाये गये है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर फसल काश्त कर अतिकमण कर रखा है। अपीलांट्स ने अपील ही गलत धारा मे पेश की है। अपील आर.टी.ए 225 के तहत प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय ने कुल 12 व्यक्तियो के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है। अपील मे सिर्फ 6 ही व्यक्ति आये है। इकरारनामा बैचान रजिस्टर्ड नही होने से स्वीकार नही किया जा सकता है। आर.टी.ए की धारा 42 प्रारम्भक से ही शून्य है। वर्ष 2001 मे अपीलांट्स द्वारा कब्जा छोडने के उपरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण किया था। धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है दावा नही है। अवैधानिक रूप से काबिज व्यक्ति को बेदखल करने हेतु बार-बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अवैधानिक रूप से काबिज व्यक्तियो को बेदखल करने हेतु राज्य सरकार ने भी परिपत्र/आदेश जारी किये है। अतः अपील अपीलांट्स अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2071-73 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा मे आराजी खसरा 2679,2690,2691,2692,2693,2694,2695,2696,2697,2712,2713,271,2718 कुल किता-13 कुल रकबा 2.7261 है.भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि पर अतिकमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल कर शास्ति कायम की है।

अभिभाषक अपीलांट्स का तर्क है कि विवादित भूमि को अपीलांट्स ने रेस्पोडेण्ट्स के पूर्वज औकार व जंसी से दिनांक 06.06.1991 को जरिये इकरारनामा बैचान के माध्यम से 1 लाख दस हजार रूपये मे क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है,परन्तु नकल जमाबंदी सम्वंत 2071-73 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा मे उक्त आराजी खसरा नम्बर रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज है और दिनांक 06.06.1991 का इकरारनामा बैचान रजिस्टर्ड भी नही है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.02.2025 अनुसार अपीलांट्स द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया और आदेशिका दिनांक 05.03.2025 अनुसार अपना जवाब प्रस्तुत किया है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को सामान्य जाति वाला व्यक्ति नियमानुसार क्रय नही कर सकता है तथा पटवारी हल्का सुरेली की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजी पर अपीलांट्स द्वारा अनाधिकृत रूप से फसल काश्त करना सिद्व है।

अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2679,2690,2691,2692,2693,2694,2695,2696,2697,2712,2713,2717,2718 कुल किता-13 कुल रकबा 2.7261 है. वाके ग्राम सुरेली पर फसल काश्त कर अतिकमण करना पटवारी हल्का कि रिपोर्ट से जाहिर है तथा इससे सिद्व है कि अपीलांट्स रेस्पोडेण्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। अपीलाण्ट्स सामान्य एंव रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त विवेचन से

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलाण्ट्स का रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल काश्त कर अतिकमण है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 18.09.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
टोंक